केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 34/टीएल/2024 दिनांक : 27.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

नीमराना II कोटपुतली ट्रांसमिशन लिमिटेड, डीएलएफ साइबर पार्क, टावर बी, 9वां तल, उद्योग विहार, फेस–III सेक्टर–20, गुरुग्राम–1220008, हरियाणा द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "राजस्थान आरईजेड पीएच–IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) भाग–ख ("परियोजना") से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" की स्थापना के लिए, और दिनांक 27.12.2023 के पारेषण सेवा करार ("टीएसए") के निबंधनों के अनुसार पारेषण सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदक को अंतर राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79 (1) (ड) के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना के विवरण निम्नानुसार है :

राजस्थान आरईजेड पीएच–IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स): भाग–ख ("परियोजना") से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	नीमराना के पास उपयुक्त स्थान पर 2x330 एमवीएआर (765 केवी) बस रिएक्टर (110 एमवीएआर के एक स्पेयर यूनिट के साथ) एवं 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टर के साथ 765/400 केवी, 4x1500 एमवीए (500 एमवीए के एक स्पेयर यूनिट के साथ) नीमराना–II एस/एस की स्थापना • 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी–4 नंबर (एक स्पेयर यूनिट के साथ 13x500) • 330 एमवीएआर बस रिएक्टर–2 नंबर (7x110 एमवीएआर, एक स्पेयर यूनिट के साथ) • 765 केवी रिएक्टर बे–2 नंबर • 125 एसवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर–2 नंबर • 420 केवी रिएक्टर बे–2 नंबर • 765 केवी आईसीटी बे–4 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे–4 नंबर • 400 केवी लाइन बे–6 नंबर (गुरुग्राम – सोहना रोड डी/सी लाइन के लीलो के लिए 4 नंबर एवं कोटपुतली डी/सी लाइन के लिए 2 नंबर) भावी प्रावधानः निम्नलिखित के लिए स्थान • बे के साथ 765/400 केवी आईसीटी–2 नंबर • स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे–12 नंबर • बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर–1 नंबर • स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे–6 नंबर • बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर–1 नंबर • 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे–2 सेट	24 मास
2.	नीमराना–II कोटपुतली 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड)	
3.	कोटपुतली पर 400 केवी लाइन बे–2 नंबर • कोटपुतली पर 400 केवी लाइन बे–2 नंबर	
4.	नीमराना–II एस/एस पर 400 केवी गुरुग्राम (पीजी)– सोहना रोड (जीपीटीएल) डी/सी लाइन (क्वाड) के दोनों सीकेटीएस का लीलो	

नोटः

(i) शॉर्ट सर्किट स्तर को सीमित करने के लिए 400 केवी स्तर पर नीमराना–II एस/एस पर उपयुक्त सेक्शनलाइजेशन का प्रावधान रखा जाएगा।

(ii) पावरग्रिड द्वारा कोटपुतली एस/एस पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 23.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 34/टीएल/2024 में दिनांक 27.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. नीमराना II कोटपुतली ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.pfcclindia.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **17.4.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **19.4.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव